संख्या राज॰ 2-ए§4§-5/78
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

दिनांक शिमला-2, 15 जनवरी 1980

सेवा में,

समस्त जिलाधीश,
हिमाचल प्रदेश ।

विषय :- खसरा गिरदावरी में इन्द्राजात के परिवर्तन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र संख्या 10-7-73/रेव-ए, तिथि 3-7-73 की और दिलाकर मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि सरकार के नोटिस में आया है कि उपरोक्त चिठी में हिदायत की तामील में पटवारियों ने कब्जा काशत के इन्द्राजात विशेष रूप से मुजारियत के सम्बन्ध में भारी संख्या में फैसिलस तबदील किए है और बहुत अर्सा बीतने पर भी यह इन्द्रजात फैन्सली ही खसरा गिरदावरी में है । और अभी तक रैवेन्यू अफसरों ने जांच के उपरांक्त इन के विषय में कोई आदेश नहीं दिए । इस से मालकान म मुजारयान में तनाव हो रहा है । अतः यह आवश्यक है कि ऐसे फैन्सली इन्द्राज वाले इन्द्राजात के प्रकरणों का रैवेन्यू अफसर दौरा पर सम्बन्धि हाल में ही शीघ्र फैसला करें इस शीतकाल में ऐसे प्रकरणों को निपटाने का अभयान जारी किया जाएं ताकि दो मास के भीतर सभी प्रकारणों के निर्णय हो जाएं ।

2॰ भविष्य में पटवारी खसरा गिरदावरी में फैन्सली इन्द्राज नहीं करेंगे, बल्कि लैण्ड रिकार्ड मैन्वल में पैरा 9-9ए के अनुसार ही इन्द्राज खसरा गिरदावरी, बदलेंगे । जिसके अनुसार पटवारी गैर मुतनाजा काशत के ही इन्द्राज बदल सकते है । मुतनाजा इन्द्राजात के बारे वे मिसल भरतब करके रैवेन्यू अफसरों के आदेश लेंगे ।

उपरोक्त के अनुसार चिठी नम्बरी-10-7-73/तरमीन की जाती है ।

भवदीय,
ह॰
उप सचिव §राजस्व§
हिमाचल प्रदेश सरकार

सेवा में,

हिमाचल प्रदेश के सभी,
जिलाधीश ।

विषय :- खसरा गिरदावरी में इंद्राज की तबदीली ।

--

महोदय,

इस विभाग के उपरोक्त विषयक सम संख्यक पत्र दिनांक, 15 जनवरी, 1980 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उस पत्र के अनुसार पटवारी जिन अविवादास्पद इंद्राजात को लैंड रिकार्ड मेनुअल के पैरा 9·9 के अनुसार बदलेगा उन की पडताल गिरदावर शत प्रतिशत मामलों मे मौका पर करेगा । फिर इन की 25 प्रतिशत पड़ताल रैवेन्यू अफसर भी करेंगे ।

2॰ यदि ऐसे मामलों में पटवारी या कोई दूसरा कर्मचारी कोई गलत इन्द्राज बदलेगा तो उसके विरूद कड़ी कार्यवाही की जाए ।

3॰ भविष्य में मुजारों को मलकीयत केवल इंतकाल द्वारा ही दी जाएगी । ऐसे मौका पर दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

4॰ सम्बन्ध रूल्ज में इस आशय का संशोधन किया जा रहा है परन्तु उपरोक्त आदेशों का पालन तुरन्त किया जाए।

भवदीय,
ह॰
अवर सचिव §राजस्व§
हिमालच प्रदेश सरकार

सं॰राज॰2ए§4§-5/78 दिनांक 28-4-1980 शिमला-2
प्रतिलिपि उचित कार्यवाही एवं सूचनार्थ :-